मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2555926

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी / 2021–22 / 126 भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2021

प्रति,

श्री मुशर्रफ सुल्तान,
तकनीकी निदेशक,
भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल,
विंध्याचल भवन भोपाल।

विषयः–मण्डी समिति भोपाल में संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एवं ई–मण्डी पोर्टल पायलट योजना के अवलोकन संबंधी।

–0–

उल्लेखित विषय में निर्देशानुसार दिनांक 10 / 06 / 2021 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय की नामांकित टीम के द्वारा प्रातः 11.00 बजे कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल में उपस्थित होकर भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एवं मण्डी बोर्ड की ई–मण्डी पायलट योजना के कियान्वयन का अवलोकन किया गया जिसमें आप स्वयं अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे थे। उक्त भ्रमण रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत प्रबंध संचालक महोदया के द्वारा आपसे चर्चा कर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।

अतः उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में आपसे अनुरोध है कि दिनांक 30 / 07 / 2021 को दोपहर 12.00 बजे मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में उपस्थित होने का कष्ट करें।
(प्रबंध संचालक महोदया के निर्देश से)

(आर.पी. चक्रवर्ती)
संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी / 2021–22 / 127 भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2021

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मण्डी बोर्ड भोपाल।

(2) श्री सुनील सक्सैना, अपर संचालक (नियमन / एम.आई.एस.), मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(3) सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक ''राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना'', मण्डी बोर्ड भोपाल।

(4) श्री संदीप कुमार चौबे, चीफ प्रोग्रामर, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(5) श्री अविनाश पाठे, सहायक संचालक (नियमन), मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(6) श्री योगेश नागले, सहायक संचालक / मण्डी सचिव, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(7) श्री राकेश दुबे, मण्डी सचिव, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(8) श्रीमती नीलकमल वैद्य, मण्डी सचिव, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(9) श्री रामकिशुन असाटी, ई–अनुज्ञा कंसलटेंट, मण्डी बोर्ड, भोपाल।

(10) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल।

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

निर्देशानुसार दिनांक 10/06/2021 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय की नामांकित टीम के द्वारा प्रातः 11.00 बजे कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल में उपस्थित होकर भारत सरकार की राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना एवं मण्डी बोर्ड की ई–मण्डी योजना का कियान्वयन का अवलोकन किया गया है, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1/ प्रवेश (गेट एण्ट्री) :–

भोपाल मण्डी में प्रवेश द्वार पर दो कम्प्यूटर सिस्टम कृषकों की आवक को दर्ज करने हेतु स्थापित किये गये हैं जिसमें एक कम्प्यूटर पर राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना की गेट एण्ट्री यथा प्रवेश दर्ज की जा रही है तथा दूसरे कम्प्यूटर पर ई–मण्डी योजना के प्रवेश की एण्ट्री दर्ज की जा रही है। दोनों योजनाओं का आपस में कोई भी समावेश नहीं है न ही उक्त योजनाओं के आगामी चरणों में गेट एण्ट्री पर दर्ज रिपोर्ट प्रदर्शित हो रही है। ई–मण्डी में दर्ज प्रवेश की मेनुअल प्रविष्टि की जा रही है साथ ही अनुबंध की भी प्रविष्टि मेंनुअल की जा रही है। जबकि यह कार्य रियल टाईम किया जाना है जो कि निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को नहीं दिखा।

2/ असेइंग –

राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना अंतर्गत असेइंग की कार्यवाही निरीक्षण के समय नहीं की जा रही थी इसका कारण यह बताया गया कि ग्रेडर जो पूर्व में पदस्थ थे उन्हें हटा दिया गया है। इस कारण असेइंग की कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि नीलामी जब मण्डी प्रांगण में ही होनी है और मण्डी के ही व्यापारी उक्त कृषि उपज को देखकर कय करेंगे तो असेइंग की कार्यवाही की क्या आवश्यकता है।

3/ ई–ऑक्शन शेड –

भोपाल मण्डी में स्थित शेडों में एक शेड को राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना हेतु ई–ऑक्शन शेड के कार्य के लिये चिन्हिंत किया गया है जिस पर लाउडस्पीकर लगाकर नीलामी राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना पोर्टल पर मण्डी में उपस्थित व्यापारियों से करवाई जा रही थी। रियल टाईम ई–नाम बिडिंग की कार्यवाही निरीक्षण के समय नहीं देखी गई।

4/ बिड कियेशन –

राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना पोर्टल पर ऑनलाईन बिडिंग ई–ऑक्शन शेड पर उपस्थित व्यापारियों द्वारा उद्वघोषक द्वारा बताये अनुसार की जा रही थी जिसमें व्यापारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस कृषक की कृषि उपज की बोली अपने मोबाईल से लगा रहे हैं। उद्वघोषक के बताये अनुसार व्यापारी निरीक्षण दल को दिखाने के हिसाब से अपने अपने मोबाईल से नीलामी कर रहे थे जिसमें मोबाईल पर फोन आने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया बाधित हो रही थी। ई–ऑक्शन शेड पर लगे एक एल.इ.डी. स्क्रीन पर किसानों की कृषि उपज की नीलामी प्रदर्शित हो रही थी जिसे देखना तथा समझना अत्यंत कठिन था। किसानों तथा व्यापारियों द्वारा उक्त की शिकायत निरीक्षण दल से की।

ई–मण्डी योजना अंतर्गत अनुबंधों की टैबलेट या मोबाईल पर रियल टाईम एण्ट्री मण्डी कर्मचारियों द्वारा न की जाकर मेनुअली अनुंबध सम्पादित किये जा रहे थे। जिस कारण से ई–मण्डी योजना के पायलट कियान्वयन की वास्तविकता ज्ञात नहीं हो रही है। पायलट का उद्वेश्य यह देखना है कि अनुबंध के समय रियल टाईम डाटा कैप्चर करने में क्या कठिनाई आ रही है।

5/ तुलाई –

निरीक्षण के समय तुलाई का कार्य तथा तौल पर्ची की प्रविष्टि रियल टाईम होना नहीं पाया गया न ही ई–नाम योजना और न ही ई–मण्डी योजना पर तुलाई की रियल टाईम प्रविष्टि होना नहीं पाया गया।

6/ सेल एग्रीमेंट –

राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना अंतर्गत निरीक्षण के समय गेट एण्ट्री तथा ई–ऑक्शन प्लेटफार्म पर व्यापारियों द्वारा बिडिंग उद्घघोषणा के माध्यम से की जा रही थी अन्य आगामी कार्यवाही निरीक्षण के समय नहीं देखी गई। सेल एग्रीमेंट सृजित राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना पोर्टल पर रियल टाईम नहीं किये जाकर मेनुअल एण्ट्री की जा रही है। व्यापारियों द्वारा उक्त योजना से नीलामी करने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ बतलाई गई जैसे मण्डी व्यवस्था के तहत अनुबंध मण्डी कर्मचारी द्वारा जारी किया जाता है परन्तु राष्ट्रीय बाजार (ई–नाम) योजना में अनुबंध स्वरुप बिडिंग व्यापारियों को स्वयं लगानी पड़ती है जिससे अधिक समय तथा तनाव की स्थिति निर्मित होती है।

ई–मण्डी पायलट योजना के सफल कियान्वयन हेतु मण्डी बोर्ड से सातों पायलट मण्डियों को प्रेषित यूजर मेनुअल अनुसार पायलट का संचालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये जाने के पूर्व मण्डी बोर्ड की ई–मण्डी योजना की तकनीकी संस्था एन.आई.सी. भारत सरकार के श्री मुशर्रफ सुल्तान तकनीकी निदेशक के साथ बैठक की जाकर सोल्यूशन्स पर विचार विमर्श किया जाना उचित होगा जिससे पायलट के संचालन में आने वाली हर छोटी से छोटी कठिनाई को समझा जाकर सुधार किया जा सकेगा।

मुशर्रफ सुल्तान तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. राज्य इकाई भारत सरकार	आर.पी. किकवती संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय	संगीता ढोके संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय
Sandeep संदीप कुमार चौबे चीफ प्रोग्रामर मण्डी बोर्ड मुख्यालय	योगेश नागले मण्डी सचिव मण्डी बोर्ड मुख्यालय	संजय राजवैद्य मण्डी सचिव मण्डी बोर्ड मुख्यालय
	रामकिशुन असाटी परामर्शी मण्डी बोर्ड मुख्यालय	मदन राउत टीम लीडर ई–मण्डी, साफ्टवेयर टीम

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विषय :- ''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) एवं ई-मण्डी पोर्टल की कार्य प्रणाली के संबंध में प्रतिवेदन।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 03.06.2021 को आयोजित ''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) एवं ई-मण्डी की बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 10.06.2021 दिन गुरूवार को प्रातः 11.30 बजे e-NAM शाखा, ई-मण्डी शाखा मण्डी बोर्ड, N.I.C. तथा NFCL भोपाल की संयुक्त दल द्वारा भोपाल कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल में उपस्थित होकर उक्त दोनों पोर्टल के कियान्वयन का Live Demo देखा गया। जिसमें e-NAM एवं ई-मण्डी पोर्टल की कार्य प्रणाली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में मण्डी सचिव भोपाल द्वारा पूर्व में ही अवगत कराया गया कि e-NAM एवं ई-मण्डी (पायलट प्रोजक्ट) का कियान्वयन किया जा रहा था। किन्तु कोविड-19 के लाकडाउन के कारण वर्तमान में उक्त का कियान्वयन भोपाल मण्डी में नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण दल के अवलोकन (Live Demo) के लिये ही दोनों पोर्टल के कियान्वयन की व्यवस्था की गई है। e-NAM एवं ई-मण्डी पोर्टल की कार्य प्रणाली के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. <u>प्रवेश (गेट एण्ट्री)</u> :-

भोपाल मण्डी के प्रवेश द्वार पर कृषकों की आवक दर्ज करने हेतु दो कम्प्यूटर सिस्टम स्थापित किये गये हैं। जिसमें एक कम्प्यूटर से ''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) योजना की तथा दूसरे कम्प्यूटर से ई-मण्डी योजना की गेट एण्ट्री कराई जाकर प्रवेश पर्ची प्राप्त की गई। दोनों योजना की गेट एण्ट्री का विकल्प है किन्तु दोनों योजनाओं का आपस में कोई समावेश नहीं है। गेट एण्ट्री में दर्ज विवरण का ''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) तथा ई-मण्डी दोनों योजनाओं के पोर्टल पर देखा गया। प्रवेश पर्ची के आधार पर बिडिंग प्रकिया कराई गई।

2. <u>असेईंग</u> :-

''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) अंतर्गत पोर्टल पर कृषि उपज की असेईंग रिपोर्ट का विकल्प है। किन्तु बताया गया कि भोपाल मण्डी में पूर्व में पदस्थ ग्रेडर हटा दिये जाने से असेईंग प्रकिया संपन्न नहीं की जा सकी है। इस संबंध में व्यापारियों द्वारा भी बताया गया कि कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपज में भिन्नता रहने से e-NAM पोर्टल दर्ज असेईंग रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हुए कृषि उपज का भौतिक रूप से परीक्षण किया जाकर ही बिडिंग प्रकिया पूर्ण की जाती है। e-NAM पोर्टल पर बिना असेईंग के भी बिडिंग का विकल्प है।

3. <u>बिड क्रियेशन</u> :-

''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' (e-NAM) योजनान्तर्गत प्रवेश पर्ची के लाट नंबर अनुसार पोर्टल पर ऑनलाईन बिडिंग कराई गई। जिसमें पृथक-पृथक लाट का तथा एक से अधिक (चार) लाट्स का एक साथ बिडिंग कराई गई। बिडिंग हेतु पृथक-पृथक लाट के लिये 02 मिनिट तथा एक से अधिक (चार) लाट्स के लिये 04 मिनिट का समय निर्धारित किया गया। e-NAM पोर्टल पर पृथक-पृथक प्रत्येक लाट का तथा एक साथ एक से अधिक लाट्स की बिडिंग कराये जाने तथा आवश्यकतानुसार बिडिंग के समय का निर्धारण किये जाने का विकल्प है।

e-NAM पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प अनुसार ऑनलाईन बिडिंग में व्यापारी अपनी आई.डी से टेबलेट अथवा अपने स्वयं के मोबाइल के माध्यम से बिडिंग का विकल्प है।

e-NAM पोर्टल पर बिडिंग में व्यापारी टेबलेट अथवा मोबाइल पर गोपनीय तरीके से ऑनलाईन बोली लगाई गई। प्रत्येक लाट की नीलामी बोली नीलामी शेड में लगी एल.ई.डी स्कीन पर दिखाई देने की व्यवस्था है। बिडिंग प्रकिया पूर्ण होने पर बिड डिक्लियर करने के विकल्प अनुसार लाउडस्पीकर के माध्यम से बिड डिक्लियर किये गये। जिसमें कर्मचारी द्वारा अंतिम नीलामी बोली तथा व्यापारी के नाम की उद्घोषणा की गई।

ई–आक्शन शेड पर लगी एल.ई.डी. स्कीन पर ऑनलाईन नीलामी बोली प्रदर्शित हो रही थी, जिसे देखना तथा समझना कृषकों के लिये अत्यंत कठिन था। इस कारण e-NAM योजना अंतर्गत व्यापारियों द्वारा टेबलेट अथवा मोबाइल पर गोपनीय रूप से बोली लगाई जाने पर कृषकों को ततसमय नीलामी प्रकिया की पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होने से कृषकों द्वारा इस प्रकार की जा रही ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया के संबंध में असहमति व्यक्त की गई। साथ ही व्यापारियों द्वारा भी ऑनलाइन नीलामी में अधिक समय लगने तथा मोबाइल से नीलामी बोली लगाये जाने के समय मोबाइल पर फोन आने पर नीलामी प्रकिया बाधित के कारण इस नीलामी प्रक्रिया के प्रति असहमति व्यक्त की गई। किन्तु मण्डी की ओर से बिडिंग हेतु टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही भविष्य में अधिक संख्या में टेबलेट उपलब्ध कराये जाकर व्यापारियों की इस समस्या का निदान किया जा सकता है।

e-NAM पोर्टल पर की जाने वाली बिडिंग प्रक्रिया मे व्यापारियों की नीलामी बोली उच्चतम रहीं है या नहीं तथा नीलामी बोली स्वीकार हुई है अथवा नहीं आदि की जानकारी ऑनलाईन नीलामी के दौरान ज्ञात नहीं होने से व्यापारियों द्वारा भी इस योजना के प्रति असहमति व्यक्त की गई।

ई–मण्डी योजना अन्तर्गत की जाने वाली नीलामी प्रकिया में मण्डी समितियों में पूर्व से चली आ रही पारम्परिक नीलामी पद्धति अनुसार उदघोषक द्वारा उच्च स्वर में नीलामी बोली लगाई गई। नीलामी में उच्चतम बोली की प्रविष्टि कर्मचारियों द्वारा टेबलेट या मोबाइल पर रियल टाइम की गई। ई–मण्डी योजना अंतर्गत नीलामी प्रकिया उच्च स्वर में होने से कृषकों को नीलामी प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी ततसमय हो जाने के कारण कृषकों द्वारा ई–मण्डी योजनान्तर्गत नीलामी प्रक्रिया के प्रति सहमति व्यक्त करते हुये उचित बताया गया।

व्यापारियों द्वारा भी ई–मण्डी अंतर्गत नीलामी प्रकिया को पारम्परिक नीलामी पद्धति के अनुरूप होने तथा नीलामी में कम समय लगने के कारण ई–मण्डी योजना के प्रति सहमति व्यक्त करते हुये उचित एवं व्यवहारिक बताया गया।

ई–मण्डी योजनान्तर्गत नीलामी प्रकिया के संबंध में कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि नीलामी में कृषक द्वारा नीलामी बोली से असंतुष्ट होने पर नीलामी निरस्त (केंन्सिल) किये जाने पर ई–मण्डी पोर्टल पर अनुबंध निरस्तीकरण का विकल्प नहीं होने से इस प्रकिया में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त व्यापारी का नाम तथा भाव त्रुटिवश गलत अंकित होने पर इसके संशोधन का भी विकल्प नहीं है। इसी प्रकार ई–मण्डी पोर्टल पर प्रवेश के समय दर्ज कृषक के नाम में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन का विकल्प नहीं होने से ई–मण्डी पोर्टल पर उक्त त्रुटि सुधारों के विकल्प की आवश्यकता बताई गई।

ई–मण्डी पोर्टल में उपरोक्त त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक संशोधन उपरांत ई–मण्डी का कियान्वयन अधिक सुगमता से किया जा सकता है। जबकि e-NAM पोर्टल पर आवश्यकतानुसार सभी त्रुटि सुधार हेतु संशोधन किये जाने का विकल्प है।

4. <u>तुलाई :–</u>

e-NAM पोर्टल पर तौल की प्रविष्टि रियल टाइम तथा बाद में भी प्रविष्टि का विकल्प है। मण्डी की कार्य व्यवस्था अनुसार तुलावटियों द्वारा सम्पूर्ण तुलाई कार्य किये जाने के उपरांत तौल पर्ची जारी की जाकर अन्त में मण्डी कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध कराये जाने पर कर्मचारियों/आपरेटर द्वारा तौल की प्रविष्टि e-NAM पोर्टल पर की जाती है।

ई–मण्डी योजनान्तर्गत भी टेबलेट के माध्यम से तुलावटियों द्वारा रियल टाइम तौल की प्रविष्टि किये जाने का विकल्प है।

5. **सेल एग्रीमेंट :–**

"राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) योजनान्तर्गत बिडिंग एवं तौल उपरांत वास्तविक तौल अनुसार पोर्टल सेल एग्रीमेंट/सेल बिल का विकल्प है। e-NAM पोर्टल पर सेल एग्रीमेंट/सेल बिल उसी दिन (रियल टाइम) अथवा अगले कार्य दिवस में जारी किये जाने (Generate) का विकल्प है। सेल एग्रीमेंट/सेल बिल जारी करने (Generate) का कार्य कर्मचारियों/आपरेटर द्वारा किया जाता है।

ई–मण्डी योजनान्तर्गत पोर्टल पर सेल एग्रीमेंट जारी किये जाने (Generate) का विकल्प नहीं देखा जा सका।

6. **पेमेन्ट :–**

e-NAM पोर्टल पर पेमेंन्ट गेटवे/यू.पी.आई./भीम एप आदि के माध्यम से ऑनलाईन कृषकों के खाते में तथा नगद/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. रूप से भुगतान का विकल्प है।

ई–मण्डी योजना में भी कृषकों को नगद तथा आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान का विकल्प है।

7. **अन्य –**

"राष्ट्रीय कृषि बाजार" योजनान्तर्गत e-NAM पोर्टल इन्टरमण्डी/इन्टरस्टेट व्यापार का विकल्प है। जबकि ई–मण्डी योजना में उसी मण्डी की नीलामी प्रकिया के अन्तर्गत समस्त डाटा एण्ट्री (Data Capturing) का विकल्प है।

अतः उपरोक्तानुसार अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) एवं ई–मण्डी दोनों पोर्टल का पृथक–पृथक कियान्वयन किया जा सकता है। दोनों का एक साथ समानान्तर रूप से कियान्वयन संभव नहीं रहेगा। इस संबंध में प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

दिनांक – 02.07.2021

02/07

(सुश्री संगीता ढोके)
संयुक्त संचालक (ई–नेम)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल